भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1889

उत्तर देने की तारीख: 11.12.2024

नशामुक्ति केंद्र

1889. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर सिक्किम राज्य सहित देश में ग्राम पंचायत स्तर पर नशामुक्ति केन्द्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) लागू करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित किए गए उक्त केन्द्रों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार और विशेषकर सिक्किम में, स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई निधि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सिक्किम सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में ड्रग्स की मांग में कमी के लिए नोडल विभाग है। नशीली दवाओं के सेवन की समस्या से निपटने के लिए, विभाग केन्द्रीय प्रायोजित योजना ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) को सिक्किम सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर रहा है।

एनएपीडीडीआर दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. जिन जिलों में नशामुक्ति केंद्रों की सुविधा नहीं हैं, वहां जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी) स्थापित करने के लिए और इसे विभिन्न संगठनों (एनजीओ/ वीओ) या सरकारी विभागों/जिला प्रशासन जो भी लागू हो, के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ये जिला

नशामुक्ति केंद्र जिला मुख्यालय या उपयुक्त रूप से सुलभ स्थानों पर (प्राथमिकता के आधार पर) स्थापित किए जाएंगे जहां जिला प्रशासन/पात्र वीओ/ एनजीओ द्वारा किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाता है।

ii. सरकारी अस्पतालों में नशामुक्ति उपचार अस्पताल (एटीएफ) स्थापित करने के लिए।

(ख): पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में, देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खोले गए जिला नशामुक्ति केंद्रों और नशा मुक्ति उपचार सुविधाओं की संख्या **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत देश में राज्य-वार आवंटित राशि का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 11.12.2024 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1889 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	डीडीएसी	एटीएफ
1	आंध्र प्रदेश	6	1
2	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	4
4	असम	2	3
5	बिहार	5	2
6	चंडीगढ़	0	0
7	छतीसगढ़	0	0
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	0
9	दिल्ली	0	6
10	गोवा	0	2
11	गुजरात	1	5
12	हरियाणा	0	17
13	हिमाचल प्रदेश	1	2
14	जम्मू और कश्मीर	5	20
15	झारखंड	2	2
16	कर्नाटक	1	0
17	केरल	0	3
18	लद्दाख	2	0
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	9	6
21	महाराष्ट्र	5	4
22	मणिपुर	0	0
23	मेघालय	0	1
24	मिजोरम	0	1
25	नागालैंड	2	1
26	उड़ीसा	2	0
27	पुदुच्चेरी	0	0
28	पंजाब	0	0
29	राजस्थान	7	6
30	सिक्किम	0	1
31	तमिलनाडु	7	2
32	तेलंगाना	1	1
33	त्रिपुरा	0	5
34	उत्तर प्रदेश	10	19
35	उत्तराखंड	0	1
36	पश्चिम बंगाल	2	2
	कुल	**71**	**117**

अनुबंध-II

दिनांक 11.12.2024 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1889 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में नशामुक्ति केंद्रों के लिए आवंटित निधियों का विवरण इस प्रकार है:

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (25.11.2024 के अनुसार)
1	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3.12	3.99	6.33	1.10
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.05	0.00	0.00
4	असम	5.24	4.37	7.46	2.58
5	बिहार	2.05	1.84	2.25	2.01
6	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0.27	0.00	0.1	0.02
7	छत्तीसगढ़	0.86	1.29	0.68	0.42
8	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) तथा दमन और दीव	0.2	0.24	0.32	0.00
9	दिल्ली	4.37	3.47	3.95	1.53
10	गोवा	0.0	0.00	0	0.00
11	गुजरात	2.35	2.53	3.11	0.70
12	हरियाणा	1.98	2.03	1.61	0.6
13	हिमाचल प्रदेश	1.29	0.91	1.25	0.31
14	जम्मू और कश्मीर	0.46	2.37	2.15	0.84
15	झारखंड	0.19	0.24	0.38	0.79
16	कर्नाटक	7.67	9.00	10.36	1.80
17	केरल	3.62	3.54	5.22	1.40
18	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	2.84	3.50	5.46	1.87
21	महाराष्ट्र	8.77	9.88	12.81	2.43
22	मणिपुर	7.2	8.00	10.60	2.40
23	मेघालय	0.0	0.25	0.14	0.00
24	मिजोरम	1.95	2.25	3.03	0.49
25	नागालैंड	1.97	1.19	0.91	0.31
26	ओडिशा	10.07	9.31	14.55	4.48
27	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	0.22	0.43	0.58	0.19
28	पंजाब	1.08	1.01	1.33	1.12
29	राजस्थान	3.74	4.87	9.91	1.04
30	सिक्किम	0.46	0.19	0.28	0.00
31	तमिलनाडु	4.95	5.19	9.03	2.44
32	तेलंगाना	2.32	2.49	3.63	0.51
33	त्रिपुरा	0.08	0.14	0.00	0.00
34	उत्तर प्रदेश	6.09	4.97	9.82	1.11
35	उत्तराखंड	1.28	1.63	1.37	0.66

36	पश्चिम बंगाल	2.43	2.43	4.06	1.35
	कुल	89.12	93.60	132.68	34.50

****